

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 मई 2026 — वैशाख 24, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक 972/21-अ/स्था./छ.ग./26.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता कार्यालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2025 की अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (4) में पदोन्नति हेतु निर्धारित “3 वर्ष” की न्यूनतम अर्हकारी सेवा अवधि को कैलेण्डर वर्ष 2026 हेतु, केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए, “1 वर्ष” की छूट प्रदान करते हैं।

इस संशोधन को ऐसे पढ़ा जाएगा तथा अर्थ लगाया जाएगा जैसा कि इसमें पूर्वोक्त संशोधन हुआ ही नहीं था।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक कुमार देशलहरे, अतिरिक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 मई 2026

क्रमांक 972/21-अ/स्था./छ.ग./26.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-05-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक कुमार देशलहरे, अतिरिक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 14th May 2026

NOTIFICATION

No. 972 / 21-अ/स्था./छ.ग./26.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, relaxes “1 years” in the minimum qualifying Service period of “3 years” prescribed for promotion in column (4) of serial number 1 of Schedule-IV of the Office of Chhattisgarh Advocate General Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2025, for calendar year, 2026 for one time only.

This amendment shall be read and construed as if the aforesaid amendment was not made therein.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEEPAK KUMAR DESHLAHARE, Additional Secretary.